

# ं **असाधारण** EXTRAGEDINARY

भाग II—सण्ड 3—उप-सण्ड (i) PART II—Section 3—And-section (i)

# प्राधिकार ते प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 29, 1996/चैत्र 9, 1918

No. 137] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 29, 1996/CHAITRA 9, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

यश्चिम्चना

नर्ड दिल्थी, 29 मार्च, 1996

मा.का.नि. 165 (म्र) ---फेन्द्र सरफार, महापत्तित त्यास मधि-नियम, 1963 (1963 को 38) को आरा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त मिक्तियों का प्रयोग करते हुए एत्द्द्वारा, निम्नलिखन तालिका में कम संख्या 1 से 15 तक के सामनं उल्लिखन व्यक्तियों को बम्बई पत्तन त्यास के त्यासी मंदल में त्यासी नियुक्त करती है और क्षम संख्या 16 में 21 के मामने उल्लिखन व्यक्तियों को उस्त मंदल में निर्माणित त्यामी के रूप में मधिसूचित करती है, स्रथीन् ---

### त। जिया

- । शध्यक्ष
- 2. उपाध्यक्ष
- सचिव, गृह विभाग (परिवहन), महाराष्ट्र सरकार।
- संयुक्त सन्तिब (पत्तिन)
  जल-भृतिल परिवहत महालय
- मीमा-शृल्क भ्रायुक्तः ।
- महाराष्ट्र राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- जल-भूक्य परिवहन मंत्रालय का पति-निधित्व करने के लिए।
- गीमा-णृत्क त्रिभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।

- चीफ-स्टाफ ऑफिसर, मार्फन फ्लेंग ऑफिसर, महाराष्ट्र क्षेत्र
- 7 मृष्य प्रचालन प्रयंशक. मध्य रेलखे, मुंबई
- अ निदेशक (विषणन प्रभाग) भारतीय तेल निगम लि बस्वई
- निदेशक (एल एंड पॉ एस) भारतीय नौयहन निगम
- 10 डॉ. सानि जी पटेल
- 1.1 श्रीएस ग्रार् कुलकर्णी
- 12. श्री बाबा एन कल्याणी
- 13. श्री नरहरि बी हन्दुर कुनकर्णी
- । । श्रीश्रवण विजय कुमार भर्मा
- . । इ.सी. ग्रामान एम. वाधवा
- 16. श्रां रामू एग. देवरा

रक्षा सेवाओं (मौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए

- भारतीय रेल का प्रक्तिनिधित्व करने के लिए ।
- भारतीय तेल निगम लि का प्रतिनिधित्य करने के लिए।
- भारतीय नौबहन निगम लि , का प्रतिनिधन्द करने के लिए
- पत्तन में नियुक्त श्रमिको का प्रतिनिधिन्य करने के लिए
- पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधिस्य करने के लिए
- "ध्रन्य हिनों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- ''अन्य हितो'' का प्रतिनिधित्व करने के शिए
- ''प्रत्य क्रिनों' का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- "ग्रन्य हितां का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- आँल इंडिया शिषमें काउंमिल का प्रक्रि-निधिस्य करने के लिए

17. कैप्टन बी.एस. कुमार	भारतीय राष्ट्रीय जहाज गातिक संघ का प्रतिनिधिस्य करने के लिए
18. श्रीसुरेशाएं कोटक	इंडियन मर्चेन्ट्स चैम्बर, बम्बई का प्रतिनिधित्व करने के लिए
19. श्री सौरभ पी. इंजीनियर	द बस्बई कस्टम हाऊस एमेट्स एगो- सिएशन, बस्बई का प्रतिनिधित्व करने के लिए
20. श्री बी.बी. डबास	द बस्बई स्टीबेडोर्स एसोसिएशन लि., बस्बई का प्रतिनिधित्व करने के लिए
21. श्री ए.एस. कमशीदाल	महाराष्ट्र चीस्थार ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सम्बर्डका प्रतिनिधित्य करने केलिए।

2. यह घश्चिस्चना 1 घप्रैल, 1996 से लागू होगी।

[फा. मं. पी दी-18011/1/95-- पो दी] के. प्रार. भाटी, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (Ports Wing)

# NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 1996

G.S.R. 165 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 15 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Bombay and notifies the persons mentioned against serial numbers 16 to 21 in the Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:-

# TABLE

- J. Chairman
- 2. Dy. Chairman
- (Transport), Govt. of Maharashtra,

3. Secretary, Home Deptt. Representing the State Govt. of Maharashtra.

4. Joint Secy. (Ports) Min. of Surface Transport.

Representing the Min. of Surface Transport.

5. Commissioner of Customs, Bombay.

Representing the Deptt. of Customs.

6. Chief Staff Officer, C/o Flag Officer, Maharashtra Area.

Representing the Defence Services (Navy),

7. Chief Operations Manager, Central Railway, Mumbai. Representing the Indian Railways.

8. Director (Marketing Divn.) Indian Oil Corporation Ltd., Bombay.

Representing the Indian Oil Corporation Limited.

9. Director (L&PS), SCl

Representing the Shipping Corporation of India Ltd.

10. Dr. Shanti G. Patel

Representing the Labour employed in the Port.

11, Shri S.R. Kulkarni

Representing the Labour employed in the Port.

- 12. Sh. Baba N. Kalyani Representing 'Other Interests',
- 13. Sh. Narahari B. Handur Representing 'Other Kulkarni.

Interests'.

14. Sh. Shravan Vijay Kumar Sharma.

Representing 'Other Interests'.

15. Sh. Ashok M. Wadhwa

Representing 'Other Interests'.

16. Sh. Ramu S. Deora

Representing the All India Shippers Council.

17. Capt. B.S. Kumar

Representing the Indian National Shiponers' Association.

18. Shri Suresh A. Kotak

Representing the Indian Merchants' Chamber, Bombay.

19. Shri Sorab P. Engineer

Representing The Bombay Customs House Agents' Association, Bombay.

20. Shri B.B. Dubash

Representing The Bombay Stevedores' Association Ltd., Bombay.

21. Sh. A.S. Kasliwal

Representing the Maharashtra Chamber of Commerce & Industry, Bombay.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1996.

[F.No. PT-18011/1/95-PT] K. R. BHATI, Jt. Secy.

# **प्राधिमु**चना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1996

सा.का.नि. 166 (ग्र). → महापत्तन न्यास भ्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठिन उप-धारा (1) द्वारा प्रवत्त पाकितमों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्-द्वारा निम्न नाश्विका में कैम संख्या । में 16 तक के मामने उल्लिखिन व्यक्तियों को कलकत्ता पत्तन के त्यासी बोई में त्यासी के रूप में नियक्त करती है और उक्त तालिका में कम संख्या 17 से 22 तक के सामने उल्लिखित व्यक्तियों की उक्त बोर्ड में निर्वाचित न्यासियों के रूप में प्रधिसुचित करती है, ग्रर्थान् :---

# तालिका

- 1. ग्रध्यक्ष
- 2. उपाध्यक्ष (कलकत्ता पत्तन न्यास )
- उपाध्यक्ष (एच की मी)
- सचिव, परिवहन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार

पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार का प्रति-निधित्य करने के लिए

 सीमा भृत्क ग्रायक्त. कलकत्ता

सीमा गुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए

 अपर सचिव और विल मलाहकार, जल-भूतल परि-बहुन मंद्रालय

जल-भतल परिवहत मलालय का प्रकि-निधिन्व करने के लिए

 तौसेना प्रभारी ग्रधिकारी, कलकत्ता

रक्षा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए

·		<del></del> _
——- 8. मुख्य संचालन प्रमधक, दक्षिण पूर्वी रेलये, कलकत्ता	भारतीय रेलों का प्रतिनिधित्थ करने के लिए	4. S
9. हेम लाल <b>जै</b> टर्जी	पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रसिनिधिस्व करने के लिए	5. C C
10 श्री देव कुमार गांगुली	पनन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए	6. A
।। श्री जीसपाल	ग्रन्य हिंसो का प्रतिनिधित्व करने के लिए	T
1.2. श्रीरिनीण कुमार दत्ता	ग्रन्य हिनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए	7. N C
13. श्रीसुखेन्दुणेखररे	ग्रन्य हिनो का प्रतिनिधित्व करने के लिए	8. C
14. क्षेत्रीय महाप्रबंधक, भारतीय नौबहन निगम लि. कलकत्ता	भारतीय नौबहन निगम लि . का प्रतिनिधित्व करने के लिए	M E C
ात . पात्रकरात 15. महाप्रबंधक, भारतीय तेल निगम लि., कलकत्ता	भारतीय तेल निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए	9. SI 10. SI
16. प्रध्यक्ष व प्रबंध निदेशक केन्द्रीय अन्दर्भीय जल परिवहन निगम लि.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि . का प्रतिनिधिस्य करने के लिए	11. St
पर्वाकृष (गणन (४) . कल्कन्ता ।		12. SI
17 श्री मंजय सेन	माल इंडिया शिपर्स का उंसिल का प्रतिनि- धित्व करने के लिए	13. SI R
18 श्री एच पी नोपनी	एसोसिएशन ऑफ शिपिग इन्ट्रेस्टस इन कलकत्ता, कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।	14. R M C
19. श्री डी एस बीस	बंगाल चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए	L 15. G In
20. श्री समीर कुमार घोष	बगाल नेशनल चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री, कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए	16, C; M
21. श्री मी एम नोपनी	इंडियन <b>चै</b> म्बर ऑफ कामसँ, कलकत्ता का प्रतिनिधिस्य करने के लिए	C) T) C)
2.2. श्री पार्थ साधन बोस	भारत चैस्बार ऑफ कामर्स, कलकला का प्रतिनिधित्व करने के लिए	17, SI
2. यह प्रधिमूचना प्रप्रैल, 1996	के प्रथम दिवस को लागू होगी ।	18. Sh
	[फा.सं. पी टी-18011/2/95–पी टी] के. ग्रार. भाटी, संयुक्त संचिव	19. <b>S</b> F

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 1996

G.S.R. 166 (E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 16 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Calcutta and notifies the persons mentioned against serial numbers 17 to 22, in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:

# **TABLE**

- 1. Chairman
- 2. Dy. Chairman (CPT)
- 3. Dy. Chairman (HDC)

- Secretary, Transport Deptt., Govt. of West Bengal.
- Representing the State Govt. of West Bengal.
- Commissioner of Customs, Calcutta.
- Representing the Deptt. of Customs
- Addl. Secy. & F.A., Min. of Surface Fransport.
- Representing the Min. of Surface Transport.
- Vaval Officer-in-Charge, Calcutta.
- Representing the Defence Services (Navy)
- Chief Operations Manager, South Eastern Railway, Calcutta.
- Representing the Indian Railways,
- Sh. Hemlal Chatterjee
- Representing the Labour employed in the Port.
- sh. Deb Kumar Ganguli Representing the Labour
  - employed in the Port.
- h. Jit Paul
- Representing the 'Other Interests'
- sh, Ritesh Kumar Dutta Representing the 'Other
  - Interests'
- Sh. Sukhendu Shekkar ₹ay
- Representing the 'Other Interests
- Regional General Manager Shipping Corporation of India Ltd., Calcutta
- Representing the Shipping Corporation of India Ltd.
- General Manager, ndian Oil Corporation Ltd., Calcutta.
- Representing the Indian Oil Corporation Ltd.
- Chairman-cum-Managing Director, Central Inland Water Transport Corpn. Ltd. Calcutta.
- Representing the Central Inland Water Transport Corporation Ltd.
- sh. Sanjay Sen
- Representing the All India Shippers' Council.
- hri H.P. Nopany
- Representing the Association of Shipping Interests in Calcutta, Calcutta.
- hri D.S. Bose
- Representing the Bengal Chamber of Commerce and
- 20. Shri Samir Kr. Ghosh
- Industry, Calcutta. Representing the Bengal
- National Chamber of Commerce & Industry,
- Calcutta,
- 21. Shri C.S. Nopany
- Representing the Indian Chamber of Commerce,
- Calcutta.
- 22. Shri Partha Sadhan Bose
- Representing the Bharat Chamber of Commerce,
- Calcutta.
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1996.

[F.No.PT---18011/2/95-PT] K. R. BHATI, Jt. Secy.

### **प्रधिमचना**

# नई दिल्ली, 29 मार्च, 1996

सा.का.नि. 167 (प्र.) : --केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास प्रधि-नियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप धारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) इत्या प्रदत्त मन्तियो का प्रयोग करते हुए एनदद्वारा निम्नलिखिन तालिका में कम मं. 1 में 15 के मामन उल्लिखिन व्यक्तियों को कोचीन पत्तन के त्यासी महल में त्यासी नियुक्त करती है और उक्त मालिका में कम स. 16 से 19 के सामने उल्लिखन बब्बिनयों को उक्त मंडल में चुन गए न्यासी के रूप में श्रधिसूचित करती है, मर्थात् .---

#### नालिका

- । ग्रध्यक्ष
- 2. उपाध्यक्ष
- मिषव, मत्स्य एवं पनन, केरल संस्कार

केरल राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने कं लिए।

- निदेशमा (डिजाइन) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ।
- जल-भूतल परिबद्धन महालय का । प्रतिनिधन्त करने केलिए।
- मीमा शल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद गुरुक ग्रायुक्त, कॉम्बीन ।
- सीमा गल्क थिमाग का प्रतिनिधिस्य करने के लिए।
- नेवल आफिसर इचार्ज, क्रोचीन, को बेन्द्र्थी।
- रक्षा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्य करनं के लिए।
- प्रभागी : रेलवे प्रवधकः दक्षिण रेलके, विवेखम ।
- भारतीय रेल का प्रसिनिधित्व करने के लिए ।
- श्रध्यक्ष एवं प्रवंध निदेशक को चीन रिफाइनरी लि.
- कोचीन रिफाइनरी लि., कोचीन का प्रति-निधित्व करने के लिए।
- अपाध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यान विकास प्राधिकरण
- सम्द्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- 10. श्री बायलर रवि,
- पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- 11. आती के.पी एस. मेनन
- पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- 12. श्रीएस,बी. बाला स्क्राण्यम
- 'भन्य हितो' का प्रतिनिधित्य करने के लि<sup>ए</sup>.
- 13. श्रीएम. बी. मुरलीधर
- ''ब्रन्थ हिनों'' का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
- १४. श्री जीम थीमस
- "भ्रन्य हिनों" का प्रतिनिधित्य करने के लिए <sup>1</sup>
- 15. श्री कृरियन मैथ्य
- ''श्रन्य हिनों'' का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- श्रीएच,पी. मोन्डकर
- भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ का प्रतिनिधित्व करने के सिए ।
- श्री ए.जे. ताराकन
- कोचीन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडम्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- 18. श्री भीरम श्री, खाना
- इंडियन चैबर ऑफ कॉमर्स एंड इडस्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

19 श्री दी, विद्यासागर

साउथ-बेस्टर्न इडिया शिपर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

20 यह अधिसुचना । श्रप्रैल, 1996 में लागू होगी।

[फा: मं,पीटी-18011/3/95-पी: टी] के ग्राप भाटी, समका गचित्र

#### NOTIFICATION

### New Delhi, 29th March, 1996

G.S.R. 167(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned serial numbers 1 to 15 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Cochin and notifies the persons mentioned against serial numbers 16 to 19 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely :--

### TABLE

- I. Chairman
- 2. Dy. Chairman
- 3. Secy., Fisheries and Ports, Govt. of Kerala.

Representing the State Govl. of Kerala.

- 4. Director (Design) Min. of Surface Transport
- Representing the Ministry of Surface Transport

the

Depart-

- 5. Commissioner of Customs & Central Excise, Cochin.
- ment of Customs.

Representing

Railways.

- 6. Naval Officer-in-Charge, Cochin, Co Vendurthy.
- Representing Defence Services (Navy). Indian Representing
- 7. Divisional Railway Manager, Southern Rly., Trivandrum.
- 8. Chairman & Managing Director, Cochin Re-
- Representing the Cochin Refinery Limited,. Cochin.
- 9. Vice-Chairman, Marine Products Export Development Authority.
- Representing the Marine Products Export Development Authority, Cochin.
- 10. Shri Vayalar Ravi

finery Ltd.

- Representing the Labour employed in the Port.
- 11. Shri K.P.S. Menon
- Labour Representing the employed in the Port.
- 12. Sb. S.V. Bala Subramaniam
  - interests'
- 'Other Representing the

Other

- 13. Sh. M.V. Muralidhar
- Representing the 'Other Interests'
- 14. Sh. Jose Thomas
- Representing the Interests'
- 15. Sh. Kurian Mathew
- Representing the 'Other Interests'
- 16, Sh. H.P. Mondkar
- Representing the Indian National Shipowners' Assoclation.
- 17. Sh. A.J. Tharakan
- Representing the Cochin Chamber of Commerce and Industry.

18.	Sh. Viresh D. Khona	Representing the Indian Chamber of Commerce
19.	Sh. T. Vidyasagar	and Industry.  Representing the South-
		Western India Shippers' Association.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1996.

> [F. No. PT-18011/3/95-PT] K.R. BHATI, Jt. Secy.

# ग्रधिस्बना

# नई विल्ली, 29 मार्च, 1996

सा.का.नि. 168 (श्र)ः ---महापत्तन न्यास श्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पटिन उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त मन्त्रियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदृद्वारा निम्न तालिका में कम सं. 1 से 16 तक के सामने उल्लिखन व्यक्तियों की महास पलन के न्यासी मंडल में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और उपन नालिका में कम मं. 17 से 21 के मामने उल्लिखन व्यक्तियाँ को उक्त बोर्ड में निर्वाचित त्यामी के रूप में प्रधिसूचित करती है, मर्थान --

#### नासिका

ा. ग्रध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष सचित्र, पश्चित्रन विभागः त्रमिलनाड सरकार का प्रतिनिधित्व करने तमिलनाषु सरकार के लिए 4 विकास समाहकार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधि-(पत्तन) जल-भूतल त्व करने के लिए परिवाःन महालय सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने मीमा शुरुक भ्रायुक्त, के लिए मद्राम नेवल ऑफिसर इन्चार्जे. रका सेवाओं (नौ सेना) का प्रतिनिधित्व मदास करने के लिए चीफ ऑपरेशन मैनेजर, भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के दक्षिण रेलवे. मद्राम लिए श्रीएम, सो, सी. पमन में नियोजित श्रमिको का प्रतिनि-भ्रन्योनी पिल्लई धित्व करने के लिए श्रीवी.कं, बालाकृष्ण्य पत्तन में नियोजिन श्रमिको का प्रतिनिधिस्व करने के लिए "प्रन्य हिन" का प्रतिनिधित्व करने के लिए 10. श्री एम. कृष्पुस्वामी 11 श्री एत. रामाचन्द्रन "भ्रन्य हिन" का प्रतिनिधित्व करने के लिए 12 श्री टी, लोगनाथन "धन्य हितों" का प्रतिनिधिष्य करने के लिए 13- निदेशक, (तकनीकी तथा भा.नौ.सि. का प्रतिनिधिस्व करने के भ्रपतटीय सेवाएं), न्निग भा.नी.नि. 14 शध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मद्राय रिफाइन्सी का प्रतिनिधन्त करने

के लिए

मद्रारा रिफाअनरी लि.

- 15. महप महाप्रबंधक, खनिज खारिज एवं धानू ज्यापार निगम का प्रति-निधित्य करने के लिए। एव धात् व्यापार विगम লি. नमिलनाषु बिजली बोर्डका प्रतिनिधित्व 16 सदस्य (जनग्रान) करने के लिए तमिलनाइ विजली याई भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ का 17. श्री एस.एन. रॉय प्रिमितिधिया करने के लिए श्राखिल भारतीय शिपमं परिषद का प्रति-18. श्रीजी, प्रार, दूजारी निधित्व करने के लिए 19. श्री प्रतीक प्राट, ठक्कर हिन्दुस्तान चैम्बर ऑफ कामसं का प्रति-निधिरव करने के लिए सदर्न इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड 20 थी प्रार. मृत्यु इइस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए मद्राय चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इडस्ट्री का
  - 20. यह ग्रक्षिमूचना ग्रप्रैल, 1996 के प्रथम दिन से लाग होगी।

21. श्री रंजीन जेगदेणन

[फा.स. पीटी-18011/4/95 पीटी| क मार, भाटी, संयुक्त सचित्र

प्रतिनिधित्य करने के लिए

### NOTIFICATION

### New Delhi, the 29th March, 1996

G.S.R. 168(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 16 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Madras and notifies the persons mentioned against serial numbers 17 to 21 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely;-

	TA	BLE
1.	Chairman	
2,	Dy. Chairman	
3.	Secretary, Transport Deptt. Govt. of Tamil Nadu.	Representing the State Govt. of Tamil Nadu.
4.	Development Adviser (Ports), Min. of Surface Transport.	Representing the Ministry of Surface Transport.
5.	Commissioner of Customs, Madras.	Representing the Deptt. of Customs
6.	Naval Officer-in-Charge, Madras.	Representing the Defence Services (Navy).
7.	Chief Operations Manager, Southern Railway, Madras.	Representing the Indian Railways.
8.	Sh. S.C.C. Anthony Pillai	Representing the Labour employed in the Port.
9.	Sh. V.K. Balakrishnan	Representing the Labour employed in the Port.
10.	Sh. M. Kuppuswamy	Representing the 'Other

Interests',

<u></u>			
11. Sh. N. Ramachandran	Representing the 'Other Interests'	7. प्रभागीय रेलवे प्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, हुझसी	भारतीय रेल का प्रतिनिधित्व करने के लिए
12. Sh. T. Loganathan	Representing the 'Other Interests'	८ श्रीएस.के. घेटी	पक्षन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधिस्त्र करने के लिए
<ol> <li>Director (Technical &amp; Offshore Services), SCI.</li> </ol>	Representing the Shipping Corporation of India Ltd.	<ol> <li>उप महाप्रश्रेधकः,</li> </ol>	करन के लिए स्थानिज एवं धातुब्यापार निगम लि. का
<ol> <li>Chairman &amp; Managing Director, Madras Re- fineries Ltd.</li> </ol>	Representing the Madras Refineries Limited, Madras.	रक्षीनज एवं आतु व्यापार नियम लि . , गोथा	प्र <b>तिनिधित्य क</b> रने के लिए
15. Chief General Manager Mincrals & Metal Tra-	Representing the Mineral and Metal Trading Cor-	1০. খী স্বধ্য তিম্বলী	''श्रन्य हिंसों'' का प्रतिनिधित्व करने के लिए
ding Corporation Ltd.	poration Ltd.	11. श्रीएम, ए. स्ब	''ग्रन्य हिनां''का प्रतिनिधित्व करने के
16. Member (Generation), Tamil Nadu Electricity	Representing the Tamil Nadu Electricity Board.	,	न्तिए। -
Board.	•	12 श्रीएच एन.प्रेमकृतार	''ग्रम्य हितो''का प्रतिनिधिस्य करने के लिए
17. Shri S.N. Roy	Representing the Indian National Shipowners' Association.	13 श्रीणियकुमारएनजे.	''श्रन्य हिनो''का प्रतिनिधित्व करने के लिए
18. Shri B.R. Dujari	Representing the All India Shippers Council.		,
19. Shri Ashok R. Thakkar		1 तः श्रीमृत्येरलालाल ग्रारः ठक्कर	भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संध का प्रतिनिधिस्य करने केलिए
20. Shri R. Muthu	Representing the Southern Indian Chamber of Commerce and Industry.	15. श्री भ्रानिष की. सालगावकर	गोवा मिनिरल भोर एक्सपोर्टर्स एसो- मिएणन, गोवा का प्रतिनिधित्व करने के लिए
21. Shri Ranjit Jesudasen	Representing the Madras Chamber of Commerce and Industry.	16. श्री दत्ताराज वी सालगावकर	गोबा चैम्बर आफ काममं एक इंडस्ट्री, गोबाका प्रतिनिधिस्य करने के लिए
2. This notification shall c April, 1996.	come into force on the 1st day of	17. श्री वी. एस. मानेरकर	मूरगांव शिप्स एजेट्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिस्य करने के लिए

[F. No. PT-18011/4/95-PT] K.R. BHATI, Jt. Secy.

### ग्रधिसुचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1996

सा का नि. 169 (ध) --केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास ग्रधि-नियम, 1963 (1963 का 38) की घारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वार( प्रदक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदब्रारा, निम्नलिखिन तालिका में त्रम सं. 1 में 13 के सामने उल्लिन खित व्यक्तियों की भुरगांव पनन के न्यांसी मंइल में न्यांसी नियुक्त करती है और उक्त नालिका में क्रम मं, 14 में 17 के सामने उल्लिखित ध्यक्तियांका उत्तर मद्भव में च्यो गए न्यामी के रूप में प्रधिसूचित करती है, सर्थास् '---

### मालिका

1. ग्रध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष गोवा सरकार का प्रतिनिधित्व करने के 3 सचिव, ( अंतर्देशीय जल बहन ) गोबा सरकार। के लिए जल-भवल परिवहन मेक्सालय का प्रति- उप मिवव (पीटी), प्रतिनिधिस्य करने के लिए जल-भतल परिवहन मंत्रालय गृत्क विभाग का प्रतिनिधि<mark>त्</mark>व सीमा मीमा शल्क आय्वत करने के लिए रक्षा मेवाश्रों ( नौ सेना) का प्रतिनिधिरय 6. चीफ स्टाफ ऑफिसर / करने के लिए क्वैग ऑफिसर, गोवा

क्षेत्र

2. यह प्रधिमूचना ( श्रप्रैल. 1996 में लाग होगी ।

[फा. मं. पीटी--18011/5/95--पीटी] ग्रार, भाटी, संयक्त सचिव

# NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 1996

G.S.R. 169(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 13 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Mormugao and notifies the persons metnioned aganist serial numbers 14 to 17 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely :-

### **TABLE**

- 1. Chairman
- 2. Dy. Chairman
- Representing the State Govt. 3. Secy., (Inland Water Transport) Govt. of Goa of Goa.
- 4. Dy. Secretary (PT). Minisiry of Surface Transport.

Representing the Ministry of Surface Transport.

5. Commissioner of Customs

Representing the Deptt. of Customs.

6. Chief Staff Officer/Flag Officer, Goa Area

the Defence Representing Services (Navy)

~		
 7.		Representing the Indian Railways.
8.	Sh. S.K. Shetye	Representing the Labour Employed in the Port.
9.	Dy. General Manager, Minerals & Metal Trad- ing Corporation Ltd., Goa.	Representing the Minerals & Metal Trading Corporation Ltd.
10.	Sh. Avdhoot Timblo	Representing the 'Other Interests'
11.	Sh. M.A. Rub	Representing the 'Other Interests'
12.	Sh. H.M. Premkumar	Representing the 'Other Interests'
13,	Sh. Shiva Kumar, N.J.	Representing the 'Other Intersts'
14.	Shri Sunderlal R. Thakker.	Representing the Indian National Shipowners' Association.
15.	Shri Anil V. Salgaocar	Representing the Goa Mineral Ore Exporters' Association, Goa.
16.	Shri Dattaraj V. Salgao- car.	Representing the Goa Chamber of Commerce & Industry, Goa.
17.	Shri V.S. Mancrkar	Representing the Mormugao Ships' Agents Association.
2.	This notification shall con	me into force on the 1st day of

[No. F. PT-18011/5/95-PT] K.R. BHATI, Jt. Sccy.

# प्रधिमुचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1996

सा का. नि. 170 (घ) — महापत्तन त्यास श्रिधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (६) के साथ पठित उपभारा (1) बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा सिस्त नासिका में कम संख्या 1 से 12 तक के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कांडला पत्तन के न्यागी बोर्ड में न्यागी के रूप में नियुक्त करनी है और उपन नालिका में प्रम संख्या 13 से 16 तक के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड में निर्धाचित त्यामियों के रूप में श्रिधमुचित करनी है, श्रिथित् —

# नालिका

घध्यक्ष

April, 1996.

- 2. उपाध्यक्ष
- सचिव, पत्तन तथा मत्स्य गुजरात राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पालन थिभाग, गुजरास करने के लिए। सरकार
- मुख्य नार्टिएस नियंत्रक जल-भनल परिवहन मंत्रालय का प्रति-जल-भनल परिवहन मंत्रालय निश्चित्य करने के लिए
- सीमा गुल्क ब्रायुक्त, सीमा गुल्क विभाग का प्रतिनिधिस्व कांडला करने के लिए
- तौसेनाप्रभारी ग्रश्चिकारी रक्षा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व सौराष्ट्र करने के लिए

 शैल प्रश्नथक पश्चिम रेल्ले भारतीय रेलो या प्रतिनिधित्य करने के गांधीधाम लिए s. निदेशक (प्र**मायन** ) तेल भारतीय तेल निगम लि का प्रतिनिधित्व गमन्वय समिति करने के लिए 9. श्री सार के गर्भ अस्य दियों का अतिनिधित्य करने के लिए 10 श्री हिमांश ब्यास भन्य हिनो का प्रतिनिधित्व करने के लिए 11 श्री मत्यनारायण श्रयबाल अन्य हिनो का प्रतिनिधित्व करने के सिπ भन्य हिनों का प्रतिनिधित्य करने के लिए 12 श्री एन पी मेहता इंडियन नेपानल शिवकानमं एसोसिएशन 13. श्री एस जी केवलरामानी का प्रतिनिधित्व करने के लिए 34 श्री गिरीम पी दानी गुजरात चैम्बर श्रांफ कामर्ग एंड इस्टरदी का प्रतिनिधिश्य करने के किए 15. श्रीपीके राजगतिया पजाब-हरियाणा-हिल्ली **बै**म्बर कार्थिंट इन्डस्टी (पीएचई))का प्रतिनिधिष्व करने के लिए 16. श्री भोमराज जागानी गांधीधाम नैस्तर द्याम कार्मस एंड इन्डस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए

<del>---</del> ----

2. यह प्रधिमुचना अप्रैल, 1996 के प्रथम दिवस को लाग होगी।

[फा. स. पीटी---18011/6/95---पी टी] के. ब्रार भाटी, संयुक्त स**न्तिक** 

### NOTIFICATION

New Delhi, 29th March, 1996

G.S.R. 170(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned serial numbers 1 to 12 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Kandla and notifies the persons mentioned against scrial numbers 13 to 16 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:

# TABLE

- 1. Chairman
- 2. Dy. Chairman
- 3. Secy., Ports & Fisheries Representing the State Govt. Deptt., Govt. of Gujarat. of Gujarat.
- Chief Controller of Chartering, Ministry of Surface Transport.
   Commissioner of Customs, Kandla
   Representing the Ministry of Surface Trans port.
   Representing the Deptt. of Customs.
- 6. Naval Officer-in-charge, Saurashtra, Representing the Defence Services (Navy).
- Area Manager, Western Railway, Gandhidham
   Director (Operations)
   Representing the Indian Railways.
   Representing the Indian Oil
- 8. Director (Operations) Representing the Indian Oil Oil Coordination Committee.
- 9. Sh. R.K. Garg Representing the 'Other Interests.
- 10. Sh. Himanshu Vyas Representing the 'Other Interests'

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	e in the first of the state of	e in the second control of the second contro	
11. Sh. Satyanarayan Agarwal	Representing the 'Other Interests'	10 सस्य श्रक्षियता (मैक/ कोयला ) त्र(मलनाड	तमिलनाडु विज्ञानी बोर्ड काम्रीयितिपत्व करमे के लिए
12. Sh. N.P. Mehta	Representing the 'Other Interests'	विजली बोर्ड	
13. Shri S.G. Kewalramani	Representing the Indian Na- tional Shipowners' Associa-	1 ।. श्री विमल रांस	"ग्रन्य हिसों का प्रतिनिधित्य करनेके विष्
	tion.	1.2. श्री प्रार के रथ	"यन्य हिनों "का प्रतिनिधिन्य करने के
14. Shri Girish P. Dani	Representing the Gujarat		नि <b></b> ग्
	Chamber of Commerce & Industry.	13. श्री मत्य भूषण साष्ट्र	"ग्रन्य हितो "का प्रतिनिधित्य करने के
15. Shri P.K Rajgarhia	Representing the Punjab		निए 
	Haryana-Delhi Chamber of Commerce and Industry. (PHD)	14. श्री एस एन श्रीकान्त	''ग्रन्थ हिनोें'' का प्रतिनिधित्व करने के सिए
16. Shri Bhomraj Jagani	Representing the Gandhi-	। 5. श्री जी वी के श्रीराम मूर्ति	भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिकसंघ
10. Sitt Bilottikaj Jagain	dham Chamber of Com-	·	का प्रतिनिधिस्व करने के लिए
	merce & Industry.	। 6 कैंप्टन डीके मिश्र	उत्कल भैम्बर ग्राफ कॉमर्स एंड इंड-
<ol><li>This notification shall example.</li></ol>	ome into force on the 1st day of		स्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए
Арги, 1920.		17 श्रीबीपीमहन्ती	उड़ीसा चैम्बर श्राफ कामर्स एंड इड-
1	[F. No. PT-18011/6/95-PT]		स्ट्री काप्रतिनिधित्व करने केलिए

[फा. मं पीटी--18011/7/95--पीटी]

के, प्रार. भाटी, संयुक्त सचिव

# ग्रधिमूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1996

K.R. BHATI, Jt. Secy.

मां का . ति . 171(अ) महापरसन न्यांस अधिनियम. 1963 (1903 का 38) कांधारा 3 की उपधारा (6) के नाथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदेश्त मिलनयों का प्रयोग भरते हुए एतष्ठद्वारा केन्द्र सरकार निस्त तालिका में कम न. ] में 14 ध्यक्तियों को पारादीप पत्तन के न्यामी मंडल में न्यामी में नियुक्त करती है और उक्त तालिका में कम मख्या 15 में 17 के सामने उस्लिखित व्यक्तियों की उक्त बोर्ड में निर्वाचित न्यासी के रूप में प्रधिस्चित करती है, प्रथित्: -

### नानिका

- 1. ग्रध्यभ
- 2. उपाध्यक्ष
- उद्योसा सरकार राज्य का प्रतिनिधित्व 3. ग्रायुक्त एवं सचिय, वाणिज्य एवं परिवहन करने के लिए (वाणिज्य) विभाग, उड़ीमा संस्कार
- उप विस मलाहकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

जल-भृतल परिवहन मंद्रालय काप्रति-निधिस्य करने के लिए

- सीमा शुल्क श्राय्क्त, भवनेण्वर
- मीमा गुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- प्रभागीय रेल प्रबंधक, दक्षिण पूर्वी, रेल. खुदी रोड
- भारतीय रेल का प्रतिनिधित्व करने के िष्मा
- 7. नेवल आंफिसर इंचार्ज, पारादीप एंड को जिल्का
- रक्षा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- महाप्रबंधक खनित्र एवं धातु व्यापार निगम
- खानिज एवं धातु ब्यापार निगम का प्रतिनिधिस्य करने के लिए
- कार्यकारी निदेशक (पूर्वी क्षेत्र ) भारतीय तेल निगम बि,
- भारतीय नेल निगम का प्रतिनिधित्व

करने के लिए

### NOTIFICATION

2 यह प्रधिमुचना अप्रैल. 1996 के प्रथम दिन में लागु होगी।

New Delhi, the 29th March, 1996

G.S.R. 171(E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned auginst serial numbers 1 to 14 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Paradip and notifies the persons mentioned against serial numbers 15 to 17 in said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:--

### TABLE

- 1. Chairman
- 2. Dy. Chairman
- 3. Commissioner-cum-Secy., Commerce & Transport (Commerce) Deptt. Govt. of Orissa.

Representing the State Govt. of Orissa

- 4. Dy. Financial Adviser, Ministry of Surface Transport.
- Representing the Ministry of Surface Transport
- 5. Commissioner of Customs, Bhubaneswar.
- Representing the Deptt. of Customs. Representing the Indian Rail-
- 6. Divisional Railway Manager South Eastern Railway, Khurda Road.
- 7. Naval Officer-in-charge, Paraoip and Co Chilka.
- Representing the Defence Services (Navy)
- 8. Geno, al Manager, Mine, als & Metal Trading Corpn. Ltd.
- Representing the Minerals and Metal Trading Corporation Ltd.

भाग	】[]齊原 3(1)]				
9.	Executive Director (Eastern Region), Indian Oil Corporation Ltd.	Representing the Indian Oil Corporation Limited.	s. श्री डो. के. णर्मा	पत्तन में नियुक्त अमिकों का प्रतिविधित्व करने के लिए पत्तन में नियुक्त अमिकों का प्र <b>िक</b>	
10,	Chief Engineer (Mech/	Representing the Tamil Nadu Electricity Board.	9. श्री रामारात्र	परान मानगुरत आसमा का आ <b>पन</b> निधित्व करने के लिए	
11.	Coal), T.N.F.B. Shri Bimal Roy	Representing the 'Other Interests'	<ol> <li>महाप्रबंधक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लि., विशाखापत्तनम</li> </ol>	ष्ट्रिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम <b>लि.,</b> विजाग का प्रतिनिधित्व करने <b>के</b> लिए	
12.	Shri R.K. Rath	Representing the 'Other Interests'	1ा. महाप्रबंधक, खनिज एवं	खनिज एव धानु व्यापार निगम लि.	
13.	Shri Satyabhushan Sahu	Representing the 'Other Interests'	धातु व्यापार निगम लि . , त्रिजाग	का प्रतिनिधिश्थ करने के लिए	
14,	Shri S.N. Srikanth	Representing the 'Other Interests'	ा 2.  प्रतिनिधि, क्षिशाखापत्तनम डस्पात संयक्ष, यिप्राखा-	विशाखापतनसं इस्पात संग्रंत, विशा <b>खा-</b> पत्तनमं का प्रतिनिधित्य करने के लिए	
15.	Shri G.V.K. Srirama	Representing the Indian	पत्तनम		
	Murthy	National Shipowners' Association.	13 थींची.बी.प्रस्त	''ब्रन्थ क्षितों'' का प्रतिग्नक्षित्व करने <b>के</b> सिए ∖	
16,	Capt. D.K. Mishra	Representing the Utkal Cham- ber of Commerce & Indus- try.	<ol> <li>श्री मधुसूदन रेही</li> </ol>	ंधन्य हितों का प्रतिनिधित्य करने के लिए	
17.	Shi B.P. Mohanty	Representing the Orissa Chamber of Commerce and Industry.	15. श्री ग्राशीय मर्राफ	''श्रन्य हिनों' का प्रतिनिधित्व करने <b>के</b> लिए	
	This notification shall oril, 1996,	come into force onthe 1st day of	16. श्री के गांगी रेड्डी	"अन्य हिनों" का प्रतिनिधिश्व करने <b>के</b> लिए	
		[F. No. PT-18011/7/95-PT.] K. R. BHATI, Jt. Secy	17. श्रीएम. श्रंपायव	केटरेणन श्रांफ श्रान्ध प्रदेश चैम्बर <b>भ्रांफ</b> कामर्स एंट डेंडस्ट्री का प्रतिनिश्चित्व	
<b>प्र</b> धिसुवना		धिसू वना		करने के लिए	
नई दिल्ली, 29 मार्च, 1996 सा.का. नि. 172 (झ):केन्द्र सरकार,महापत्तन न्यास ग्राधिनियम,		18. श्रीबी,की. वी,रेही	विषाखापलनम चैम्बर प्राफ काम <b>सं एंड</b> इडर्म्ड्रा का प्रतिनिधिस्व करने के		
उपा	भारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति	रा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठिन तयो का प्रयोग करने हुए एतद्द्वारा, 1 से 16 के मामने उल्लिखिल व्यक्तियों	19. थी के, वी, कृष्ण कृमार	लिए भारतीय राष्ट्रीय जड़ाज मालिक संथ <b>का.</b> प्रीतिसिधन्व करने के लिए	
को विशाखापशनम पत्तन अन्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है		2 यह अभिमूचना । अप्रैस. 1996 से लाग् होगी।			
और उन्न तालिका में कम सं. 17 रो 19 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उन्न मंडल में बुने गए न्यासी के रूप में प्रधिसूचित करती है, प्रथित्:		[फा.	स. पी टी18011/8/95 पीटी] के गार भाटी संयुक्त स <b>िवय</b>		
	त	ालिका	1	NOTIFICATION	
******			NOTIFICATION		

- । अध्यक्ष
- 2. उपाध्यक्ष
- प्रधान सचिव, ट्रान्सपोर्ट शिड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेन्ट, आल्घ्र प्रदेण सरकार

भामध्य प्रदेश राज्यसरकार का प्रतिनि-धित्व करने के लिए

निदेणक (पीडी)
 अप-भूतल परिवहन
 मेम्रालय

जुन-भूतल परिवहन मंतालय का प्रतिनिधित्न करने के लिए

- सीमा णुल्क ग्रायुपत,
   विभाषापत्तनम
- सीमा णुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- प्रभागीय रेलवे प्रबंधक, विक्षण-पूर्व रेलवे, बाल्टेयर
- भारतीय रेलका प्रशिनिधित्व करने के लिए
- तेवन ग्राफिसर इत्यार्ज, विशासायत्तनम
   631 GI/96—2
- रभा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए

New Delhi, the 29th March, 1996

G.S.R. 172(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963(38 of 1963), the Coatral Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 16 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam and notifies the persons mentioned against serial numbers 17 to 19 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

# **TABLE**

- 1. Chairman
- 2. Dy. Chairman
- Principal Secy., Transport Roads and Buildings Deptt., Govt. of Andhra Pradesh.

Representing the State Govt. of Andhra Pradesh.

4. Director (PD), Ministry I of Surface Transport.

Representing the Ministry fo Surface Transport.

		—				· ·-
5.	Commissioner of Customs, Visakhapatnam	Representing the Deptt, of Customs	13. Shri V.V. Prasad	Representing Interests'	the	*Oth <b>rr</b>
6.	Divisional Railway Manager South Eastern	Representing the Indian Railways	14. Shri Madusudan Reddy	Representing Interests'	the	'Other
	Railway, Waltair.		15. Shri Ashish Saraf	Representing	the	'Other
7.	Naval Officer-in-charge, Visakhaptnam.	Representing the Defence Services (Navy)	16. Shri K. Gangi Reddy	Interests' Representing	the	'Other
8.	Shri D.K. Sharma	Representing the Labour	10. Shirt C. Clange Reday	Interests'	tile	Other
		employed in the Port.	17. Shri M. Appa Rao	Representing		
9,	Shri Rama Rao	Representing the Labour employed in the Port		of Andhra Proof Commerce		
10.	Genl. Manager, Hindus- stan Petroleum Corpo- ration Ltd., Visakha-	Representing the Hindustan Petroleum Corporation Limit- ed, Vizag.	18. Shri V.B.V. Reddy	Representing patnam Chan merce and Inde	nber of	/isakha- Com-
	patnam.		19. Shri K.V. Krishna	Representing	the	Indian
11.	General Manager, Mierals and Metal Trad-	Representing the Minerals and Metal Trading Corporation	Kumar	National Shi ciation.	powners	' Asso-
	ing Corporation Ltd., Vizag.	Ltd.	<ol><li>This notification shall co of April, 1996.</li></ol>	me into force	on the	lst day
12.	Representative, Visakha patnam Steel Plant, Visakhapatnam.	Representing the Visakha- patnam Steel Plant, Visakha- patnam.		[F. No. PT K.R. Bl		